

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

के0 सेंथिल कुमार,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त, छपरा ।

पटना, दिनांक-

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 4147 dated-16-08-19 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 4147 dated- 16-08-19 में आवंटित की गयी राशि की निकासी हेतु निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

1. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2581 दिनांक-11.06.19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में 31 मार्च 2020 तक व्यय के निमित्त है।
3. **Object Head 13-01- Office Expenses** (विषयशीर्ष-0108.13.01 कार्यालय व्यय) से आवंटित की गयी राशि **Gem Portal के निर्धारित दर पर/बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियमों** के आलोक में क्रय हेतु है। यह आवंटन सहायक श्रमायुक्त, सारण (छपरा) के पत्रांक-458 दिनांक-20.07.19 के संदर्भ में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से सभी प्रकार के विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(के0 सेंथिल कुमार)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

6  
ज्ञापांक: 6/एफ1-303/19 श्र0सं0-

3769

पटना, दिनांक

3-9-19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/8/19  
(के० संधिल कुमार)  
श्रमायुक्त, बिहार।